बिहार सरकार

उद्योग विभाग

पत्रांक—................................../पटना, दिनांक—.......................

सं०सं०— 4तक0/ स्टार्ट—अप पॉलिसी/11/2016

प्रेषक,

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0),
बिहार, पटना।

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

द्वारा:— आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय:— **वित्तीय वर्ष 2016—17 में बिहार स्टार्ट—अप नीति, 2016 अन्तर्गत भेन्चर फन्ड हेतु ₹ 5,000.00 लाख (पचास करोड़) मात्र की स्वीकृति का प्रस्ताव।**

आदेश:— **स्वीकृत।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बंध में कहना है कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2016—17 में बिहार स्टार्ट—अप नीति, 2016 अन्तर्गत भेन्चर फन्ड हेतु ₹ 5,000.00 लाख (पचास करोड़) मात्र की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की है।

2. विभिन्न कार्यक्रमों यथा—उद्यमी बिहार, बिहार अभियान उद्यमिता अवार्ड, चुनौतियाँ और व्यवसाय योजना प्रतिस्पर्धा इत्यादि के नवीकरण के माध्यम से युवाओं के मध्य उद्यमिता शिक्षा तथा जीवनवृत्ति को उपस्थापित करने, बढ़ावा देने तथा प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विभागीय संकल्प संख्या—1849, दिनांक 07.09.2016 द्वारा बिहार स्टार्ट अप नीति, 2016 लागू की गई है, जो पाँच वर्षों तक प्रभावी रहेगी।

3. बिहार स्टार्ट—अप नीति, 2016 का उद्देश्य राज्य के उद्यमियों को उनके इनोवेटिव आईडीयाज जिनको उत्कृष्ट व्यवसायिक रूप दिया जा सकता है, को प्रोत्साहित करना है।

4. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी—मुख्य शीर्ष—4851—ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष—00—लघु शीर्ष—190— सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश, माँग संख्या—23, उप शीर्ष—0102 भेन्चर कैपिटल में निवेश, विपत्र कोड—पी0 4851001900102, विषय शीर्ष—54 01 निवेश मद से ₹ 5,000.00 लाख (पचास करोड़) मात्र विकलित होगा जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2016—17 के बजट उपबंध में यथेष्ट राशि उपलब्ध है।

5. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक निदेशक (तक0), तकनीकी विकास निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना होंगे जो सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से एकमुश्त राशि की निकासी कर बैंक ड्राफ्ट/RTGS द्वारा बिहार स्टार्ट—अप फंड ट्रस्ट को उपलब्ध करायेगें, जिसका व्यय बिहार स्टार्ट—अप फंड ट्रस्ट के निर्धारित प्रावधान के अनुरूप किया जायेगा।

6. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, तकनीकी विकास, तकनीकी विकास निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना होंगे। वे इस योजना का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करेंगे तथा राशि की उपयोगिता प्रमाण—पत्र महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार, पटना को भेजते हुए इसकी एक प्रति विभाग को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

7. राशि की निकासी एवं उसका समायोजन वित्त विभागीय पत्रांक 4263 दिनांक 20.05.2014 के अनुरूप की जायेगी।

8. प्रस्ताव में दिनांक 15.02.2017 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में मद संख्या–07 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

9. राज्यादेश में संचिका संख्या– 4तक0/स्टार्ट–अप पॉलिसी/11/2016 के पृष्ट संख्या–12/टि0 पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है जिसकी डायरी संख्या–27/OSD दिनांक 21.02.2017 है।

10. राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक–8003 वि0(2) दिनांक–18.09.2008 में निहित पत्रांक–2561 वि0(2) दिनांक–17.04.1998 के कंडिका–2, पत्रांक–2938 वि0(2) दिनांक–08.04.2008 के आलोक में किया जायेगा तथा इन प्रपत्रों में निहित अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11. वित्त विभागीय पत्रांक 7355/वि(2), दिनांक 05.10.2007 के आलोक में राशि की निकसी में प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है।

विश्वासभाजन
ह0/–
प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–................../पटना, दिनांक–................
सं0सं0–4तक0/स्टार्ट–अप पॉलिसी/11/2016

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–................../पटना, दिनांक–................
सं0सं0–4तक0/स्टार्ट–अप पॉलिसी/11/2016

प्रतिलिपिः– सहायक निदेशक (तक0)–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, तकनीकी विकास निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में)/उप उद्योग निदेशक (योजना), उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 255 /पटना, दिनांक– 01.03.17
सं0सं0–4तक0/स्टार्ट–अप पॉलिसी/11/2016

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/सदस्य सचिव, बिहार स्टार्ट–अप फंड ट्रस्ट, पटना/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/ निदेशक, तकनीकी विकास, बिहार, पटना/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण, बिहार, पटना/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना/आय–व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/प्रशाखा–1 (सरकार) योजना, उद्योग विभाग, बिहार, पटना (5 प्रतियों में)/आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।